लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार
2017

न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

पंचायत निगरानी संख्या 17/2016

श्री कमरूद्दीन पुत्र श्री हसन खां गहलोत जाति देशवाली मुसलमान निवासी काजी हाउस के पास, ग्राम पंचायत रामसर पंचायत समिति श्रीनगर जिला अजमेर।

.....प्रार्थी

बनाम

1. सरपंच/पदेन सचिव ग्राम पंचायत रामसर, पंचायत समिति श्रीनगर, अजमेर।
2. प्रधान/विकास अधिकारी पंचायत समिति श्रीनगर, जिला अजमेर।
3. श्री नूर खां पुत्र श्री मनवर खां पंवार जाति देशवाली मुसलमान निवासी केसरपुरा रोड़, गौशाला के पास, ग्राम रामसर तहसील नसीराबाद पंचायत समिति श्रीनगर जिला अजमेर।

.....अप्रार्थीगण

प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 97
राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1996

उपस्थित :–

1. श्री शुभकरण सिंह चौधरी, वकील प्रार्थी की ओर से।
2. श्री शंकर लाल चौधरी, वकील अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से।

–: आदेश :–

दिनांक 08.06.2017

वर्तमान में अजमेर जिले में राजस्व अभियान ''न्याय आपके द्वार 2017'' का आयोजन किया जा रहा है जिसके तहत प्रकरण प्रस्तुत हुआ। संक्षेप में निगरानी के तथ्य इस प्रकार से है कि श्री नूरमौहम्मद पुत्र श्री मनवर खां पंवार जाति देशवाली मुसलमान निवासी रामसर द्वारा ग्राम पंचायत रामसर के समक्ष आबादी भूमि का पट्टा जारी करने बाबत् प्रार्थना पत्र पेश करने पर ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत विधिक प्रक्रिया पश्चात् दिनांक 29.12.1998 को पंचायत के संकल्प संख्या 1 दिनांक 29.12.1998 के अनुसरण में अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में आबादी भूमि का विक्रय विलेख पट्टा संख्या 6 दिनांक 29.12.1998 जारी कर दिया। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में जारी किये गये आक्षेपीय पट्टे को विभिन्न कारणों से विधि विरूद्व बताते हुए पट्टा निरस्त करने हेतु यह निगरानी पेश की गई है।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

निगरानी पेश होने पर अप्रार्थीगण के नाम नोटिस जारी किये गये तथा अधिनस्थ न्यायालय का संबंधित रेकार्ड मंगवाने हेतु मांग पत्र जारी किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 स्वयं व अप्रार्थी संख्या 3 जरिये वकील उपस्थित हुए तथा जवाब नोटिस पेश किया। ग्राम पंचायत रामसर ने जरिये पत्र दिनांक 21.10.2016 से आक्षेपीय पट्टे का मूल रेकार्ड उपलब्ध नहीं होना अवगत करवाया। तत्पश्चात् पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गई।

अपर कलक्टर अजमेर

हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। वकील निगरानीकार ने प्रार्थना पत्र में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अप्रार्थी संख्या

Scanned by CamScanner

3 के पक्ष में जारी किया गया आक्षेपीय पट्टा न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा तत्कालीन सरपंच से मिली भगत कर विधि के आज्ञापक प्रावधानों की अनदेखी कर कूटरचित दस्तावेजों की आड़ में बिना राजकोष में राशि जमा करवायें मिथ्या कथनों के आधार पर आक्षेपीय पट्टा विलेख जारी किया गया है। उक्त फर्जी पट्टे की जानकारी होने पर समयावधि में प्रार्थी के बड़े भाई ने जनहित व राजहित में नियमानुसार शिकायत प्रधान पंचायत समिति श्रीनगर के समक्ष प्रस्तुत की तत्पश्चात् पंचायत समिति श्रीनगर ने बाद सुनवाई दिनांक 06.11.2004 को प्रस्ताव संख्या 4 के द्वारा आक्षेपीय पट्टे को संदेहास्पद मानते हुए पट्टे को निरस्त करवाने हेतु अतिरिक्त जिला कलक्टर अजमेर को लिखे जाने का आदेश पारित किया किन्तु अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने मिली भगत कर उक्त फर्जी पट्टे को निरस्त करवाने हेतु कोई कार्यवाही नहीं कर दोषी व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान किया। वकील निगरानीकार ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि उक्त फर्जी पट्टे पर सरपंच के हस्ताक्षर नहीं है। आक्षेपीय पट्टे से संबंधित रेकार्ड एवं बुक उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। वकील निगरानीकार ने यह भी कथन किया कि आक्षेपीय पट्टा जारी करते समय भूमि सिवायचक सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज थी। वर्तमान में आबादी दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 3 के द्वारा सिविल न्यायालय में सिविल वाद दायर किया गया था। न्यायालय द्वारा फर्जी रूप से प्रस्तुत मूल दावा निरस्त कर दिया गया। उन्होंने आगे कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने जानबूझ कर अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में जारी फर्जी पट्टे की जिम्मेदारी से बचने के लिए अभी तक दोषी के विरूद्व कोई कार्यवाही नहीं की है, इस कारण प्रार्थी को यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करनी पड़ी है। अन्त में उन्होंने कथन किया कि तत्कालीन सरपंच एवं पदेन सचिव द्वारा उत्तरदायित्वों की जानबूझ कर अवहेलना कर अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में आक्षेपीय पट्टा विलेख जारी किया गया है। अतः निगरानी याचिका स्वीकार कर आक्षेपीय पट्टा निरस्त किया जावे।

वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में वकील अप्रार्थी संख्या 3 का कथन है कि प्रार्थी द्वारा निगरानी याचिका में अंकित समस्त तथ्य झूठे एवं मनगढ़त है। उनका कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में विधिक प्रावधानों के अनुसरण में एवं राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 में प्राविधित प्रावधानों के अन्तर्गत आबादी भूमि का आक्षेपीय विक्रय विलेख जारी किया गया है। प्रार्थी द्वारा विक्रय विलेख बाबत् जो कथन बहस के दौरान कहे गये है वह केवल काल्पनिक है अपने कथनों को स्वयं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर साबित करना चाहिये। वकील अप्रार्थी संख्या 3 ने आगे कथन किया कि अप्रार्थी ने विधि द्वारा प्रावधित प्रावधानों के अनुसरण में विक्रय विलेख अर्थात पट्टा प्राप्त किया है जिसके बदले मूल्यवान प्रतिफल राशि राजकोष में जमा करवाई है एवं आज भी पट्टा विलेख अप्रार्थी के नाम चला आ रहा है तथा पट्टे में अंकित भूमि पर अप्रार्थी संख्या 3 ही काबिज होकर उपयोग/उपभोग करता चला आ रहा है। वकील अप्रार्थी संख्या 3 ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई फर्जी पट्टा जारी नहीं किया गया है बल्कि अप्रार्थी संख्या 3 ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष विधिवत रूप से आवेदन किया था जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने मूल्यवान प्रतिफल राशि राजकोष में जमा करवा कर तथा मौका रिपोर्ट मंगवाने के पश्चात् दो गवाहों की उपस्थिति में अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में आक्षेपीय विक्रय विलेख जारी किया गया है जिसमें किसी भी तरह की कोई विधिक त्रुटि नहीं है। उन्होंने कथन

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

किया कि प्रार्थी का यह कथन गलत है कि विवादित भूमि सिवायचक होकर सार्वजनिक निर्माण विभाग की भूमि है जबकि जमाबंदी संवत् 2069–72 के खाता संख्या 2475 में ग्राम पंचायत आबादी दर्ज है। प्रार्थी का यह भी कथन गलत है कि आक्षेपीय पट्टे पर सरपंच ग्राम पंचायत के हस्ताक्षर नहीं है। आक्षेपीय पट्टे पर सरपंच के हस्ताक्षर मौजूद है। अप्रार्थी संख्या 3 का विवादित भूमि पर पिछले 15 वर्षों से कब्जा चला आ रहा है इस तथ्य की पुष्टि ग्राम पंचायत रामसर द्वारा दिनांक 03.07.1996 को जारी प्रमाण पत्र व अनापत्ति प्रमाण पत्र से होती है। उन्होंने कथन किया कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में प्राविधित प्रावधानों के अनुसरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पट्टा विक्रय विलेख दिनांक 29.12.1998 को अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में जारी किया गया है जिसको लगभग 18 वर्ष की अवधि व्यतीत हो चुकी है, इतने लम्बे विलम्ब के पश्चात् किसी भी व्यक्ति को उक्त विक्रय विलेख को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने हमारा ध्यान माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आर.आर.टी. 2015 वॉल्यूम 2 पेज 967 में प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत की ओर आकर्षित करते हुए अन्त में कथन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका निरस्त की जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि जमाबंदी संवत् 2069–2072 में आबादी भूमि दर्ज है। प्रार्थी का यह कथन गलत है कि आक्षेपीय विक्रय विलेख पर सरपंच ग्राम पंचायत के हस्ताक्षर नहीं है जबकि आक्षेपीय पट्टा व नक्शे पर सरपंच के हस्ताक्षर अंकित है। प्रार्थी का यह कथन कि विवादित भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग की भूमि है तथा अप्रार्थी संख्या 3 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 से मिलीभगत कर फर्जी पट्टा जारी करवाया गया है, उक्त कथन दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में मानने योग्य नहीं है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा आक्षेपीय पट्टे से संबंधित मूल रेकार्ड प्रस्तुत नहीं करने के कारण आक्षेपीय पट्टे की वैधानिकता/अवैधानिकता के निष्कर्म पर पहुंचना संभव नहीं है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाकर निगरानी विकास अधिकारी श्रीनगर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे आक्षेपीय पट्टे से संबंधित मूल रेकार्ड की गहनता से तलाश करवा कर अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में जारी विक्रय विलेख के वैधानिकता की पूर्ण जांच कर यदि आक्षेपीय पट्टा जांच रिपोर्ट में विधि के प्रावधानों के विपरीत पाया जाता है तो स्वयं के स्तर से निगरानी याचिका प्रस्तुत करें।

आदेश आज दिनांक 08.06.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

(किशोर कुमार)
अपर कलक्टर, अजमेर

Scanned by CamScanner